न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

CPO .... बनाम .... बनेड़ा

प्रा० पत्र .... नं. .... 197 .... सन् 2011

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली आज राजस्व कोड अवालत (?) को ~~[illegible]~~ पंचायत में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की आराजी नम्बर को भू-प्रबंध विभाग द्वारा अंकन किये जाने से प्रार्थी द्वारा पुनः स्वयं की आराजी में निवेदन किया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा जो शामिल मिसल है, उसका अवलोकन किया गया, एवं पत्रावली भेरी पर अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा [illegible] भोग की गई की प्रार्थी की खातेदारी युक्त भूमि में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूल-वश खाता दर्ज कर दिया गया उक्त भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज करावे हेतु, सम्मिलित की जावे। प्रकरण मे I.O.R. भड़काऊ द्वारा दिनांक 28-6-16 को तैयार की गई, रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा की	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म ... में ...
	कब्जा कायम नहीं रहा है। मौके पर उक्त रास्ता नीमकाथाना - देवली रोड से गांव की ओर नहर - पुलिया के सहारे ग्वालिया जाने के रास्ते के रूप में प्रयुक्त होता है। उक्त रास्ते को अवरुद्ध कर प्रार्थी के हितों में अतिक्रमित करता है, तो सम्बन्धित हितों की अनदेखी होगी। जो न्यायोचित - नहीं है क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। प्रार्थी का प्रा०पत्र आवश्यक होकर न्यायालय के समस्त कलीन हेतु से प्रतिकूल नहीं होने से लम्बित प्रा०पत्र को सिद्ध करने में विफल रहने से प्रा०पत्र प्रार्थी विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली हेतु रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय खुले-इजलास सुनाया गया।	